एलआईसी की
नई जीवन शांति
विक्रय विवरणिका

एलआईसी की नई जीवन शांति

(यूआईएन: 512N338V08)

(एक असहभागी, असम्बद्ध, व्यक्तिगत, बचत, आस्थगित वार्षिकी योजना)

एलआईसी की नई जीवन शांति एक असम्बद्ध, असहभागी, व्यक्तिगत, बचत, आस्थगित वार्षिकी योजना है, जिसमें पॉलिसीधारक के पास एकल जीवन और संयुक्त जीवन आस्थगित वार्षिकी के बीच चयन करने का विकल्प होता है। पॉलिसी की शुरुआत में वार्षिकी दरों की गारंटी दी जाती है और वार्षिकीधारकों को आस्थगन अवधि के बाद आजीवन वार्षिकी देय होती है।

संयुक्त जीवन वार्षिकी परिवार के किन्हीं दो वंशजों/पूर्वजों (अर्थात दादा–दादी, माता–पिता, बच्चे, पोते–पोतियाँ) या पति/पत्नी या भाई–बहनों के बीच ली जा सकती है।

यह एक असहभागी उत्पाद है जिसके तहत मृत्यु या उत्तरजीविता पर देय लाभ गारंटीड और निश्चित होते हैं (चुने गए वार्षिकी विकल्प के अनुसार) फिर वास्तविक अनुभव चाहे जो हो। इसलिए पॉलिसी बोनस आदि या अधिशेष में हिस्सेदारी जैसे किसी भी विवेकाधीन हितलाभ की हकदार नहीं है।

इस योजना को अभिकर्ताओं/अन्य मध्यस्थों के माध्यम से ऑफ़लाइन, और साथ ही www.licindia.in वेबसाइट के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। हालाँकि, यह पॉइंट–ऑफ़–सेल्स–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई)/कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी–एसपीवी) के माध्यम से विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है।

भावी पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि पॉलिसी खरीदने संबंधी निर्णय लेते समय संबंधित जोखिमों और हितलाभों सहित उत्पाद की विशेषताओं का संदर्भ लिया जा सकता है और इस उत्पाद के अंतर्गत ऐसे उत्पादों/विकल्पों का चयन किया जा सकता है, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

1. मुख्य विशेषताएं:

- एकल प्रीमियम आस्थगित वार्षिकी योजना
- आपकी ज़रूरतों के हिसाब से दो वार्षिकी विकल्प
- इनमें से चुनने की सुविधा:

- एकल जीवन वार्षिकी और संयुक्त जीवन वार्षिकी
- वार्षिकी भुगतान का तरीका (वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक)।

- मृत्यु हितलाभ को एकमुश्त, वार्षिकीकरण के रूप में या किश्तों में लेने का विकल्प

2. वार्षिकी विकल्प:

उपलब्ध विकल्प हैं:

विकल्प 1: सिंगल लाइफ (एकल जीवन) के लिए डिफर्ड एन्युटी (आस्थगित वार्षिकी)

विकल्प 2: जॉइंट लाइफ (संयुक्त जीवन) के लिए डिफर्ड एन्युटी (आस्थगित वार्षिकी)

एक बार चुने गए वार्षिकी विकल्प को बदला नहीं जा सकता।

3. हितलाभ:

ए) उत्तरजीविता/मृत्यु हितलाभ :

लागू वार्षिकी विकल्प के अंतर्गत वार्षिकीधारक(कों) के जीवित रहने या उनकी मृत्यु होने पर देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

विकल्प	हितलाभ
विकल्प 1	**आस्थगन अवधि के दौरान:**
	• वार्षिकीधारक के जीवित रहने पर, कुछ भी देय नहीं होगा।
	• वार्षिकीधारक की मृत्यु पर, नीचे परिभाषित मृत्यु हितलाभ नामितियों को देय होगा।
	आस्थगन अवधि के बाद:
	• चयनित प्रकार के अनुसार वार्षिकी भुगतान, वार्षिकीधारक के जीवित रहने तक किस्तों में किया जाएगा।
	• वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा और नीचे परिभाषित मृत्यु हितलाभ नामितियों को देय होगा।
विकल्प 2	**आस्थगन अवधि के दौरान:**
	• प्राथमिक वार्षिकीधारक और/या द्वितीयक वार्षिकीधारक के जीवित रहने पर, कुछ भी देय नहीं होगा।
	• अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर, नीचे परिभाषित मृत्यु हितलाभ नामितियों को देय होगा।
	आस्थगन अवधि के बाद:
	• चयनित प्रकार के अनुसार वार्षिकी भुगतान, प्राथमिक वार्षिकीधारक और/या द्वितीयक वार्षिकीधारक के जीवित रहने तक किस्तों के रूप में किया जाएगा।
	• अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा और नीचे परिभाषित मृत्यु हितलाभ नामितियों को देय होगा।

- **मृत्यु हितलाभ:** दोनों विकल्पों के तहत मृत्यु हितलाभ इस प्रकार होगा:

जो भी इनमें से उच्चतर हो

o खरीद मूल्य एवं मृत्यु पर अर्जित अतिरिक्त लाभ (जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है) ऋण (माइनस) मृत्यु की तिथि तक देय कुल वार्षिकी राशि, यदि कोई हो

या

o खरीद मूल्य का 105%

- **मृत्यु पर अतिरिक्त हितलाभ:** मृत्यु पर अतिरिक्त हितलाभ प्रत्येक पॉलिसी महीने के अंत में, केवल आस्थगन अवधि के अंत तक अर्जित होगा। आस्थगन अवधि के दौरान मृत्यु पर अतिरिक्त हितलाभ की दर निम्नानुसार होगी:

  प्रति माह मृत्यु पर अतिरिक्त हितलाभ = (खरीद मूल्य * मासिक देय वार्षिकी दर प्रति वर्ष) / 12

  जहां, मासिक देय वार्षिकी दर प्रति वर्ष किसी भी प्रोत्साहन (इंसेंटिव) को लागू किए बिना चयनित मासिक विकल्प के लिए लागू प्रति यूनिट खरीद मूल्य वार्षिकी दर के बराबर होगी और चुने गए विकल्प, वार्षिकीधारकों की प्रवेश के समय आयु और चुनी गई आस्थगन अवधि पर निर्भर करेगी।

  आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में, जिस पॉलिसी वर्ष में मृत्यु हुई है, उस पॉलिसी वर्ष के लिए मृत्यु पर अतिरिक्त हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक पूर्ण पॉलिसी माह तक अर्जित होगा।

बी. परिपक्वता हितलाभ: इस प्लान के अंतर्गत कोई परिपक्वता हितलाभ नहीं है।

4. पात्रता मानदंड:

न्यूनतम खरीद मूल्य*:	: रु.1,50,000, जो नीचे निर्दिष्ट न्यूनतम वार्षिकी के अधीन है
अधिकतम खरीद मूल्य:	: कोई सीमा नहीं

हालाँकि, प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली अधिकतम वार्षिकी, मंडल द्वारा अनुमोदित बीमांकन नीति के अनुसार बीमांकन निर्णय के अधीन होगी।

प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	: 30 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
प्रवेश के समय अधिकतम आयु	: 79 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
न्यूनतम निहित आयु	: 31 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
अधिकतम निहित आयु	: 80 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

न्यूनतम आस्थगित अवधि : 1 वर्ष

अधिकतम आस्थगित अवधि : 5 वर्ष अधिकतम निहित आयु के अधीन

न्यूनतम वार्षिकी:

वार्षिकी का प्रकार	मासिक	त्रैमासिक	अर्धवार्षिक	वार्षिक
न्यूनतम वार्षिकी	रु.1000 प्रति माह	रु.3000 प्रति तिमाही	रु.6000 प्रति अर्धवार्षिक	रु.12000 प्रति वर्ष

संयुक्त जीवन: संयुक्त जीवन वार्षिकी परिवार के किसी भी दो वारिस/उत्तराधिकारी (अर्थात दादा–दादी, माता–पिता, बच्चे, पोते–पोतियाँ) या पति/पत्नी या भाई–बहन के बीच ली जा सकती है।

*अपवादजनक मामले जहां न्यूनतम वार्षिकी और न्यूनतम खरीद मूल्य रु. 1,50,000/– लागू नहीं होंगे:

यदि योजना पैरा 9.ii में दिए अनुसार विकलांग आश्रित व्यक्ति (दिव्यांगजन) के हितलाभ के लिए खरीदी गई है, तो प्रस्ताव को न्यूनतम वार्षिकी पर किसी प्रतिबंध के बिना अनुमति दी जाएगी और ऐसे मामलों में न्यूनतम खरीद मूल्य रु. 50,000/–होगा।

5. वार्षिकी भुगतान का प्रकार:

वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक उपलब्ध वार्षिकी के तरीके हैं। वार्षिकी किस्तों में देय होगी, अर्थात वार्षिकी भुगतान वार्षिकी के निहित होने की तिथि से 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने के बाद होगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वार्षिकी भुगतान का प्रकार क्रमशः वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक है।

6. प्रोत्साहन:

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:

I. उच्च खरीद मूल्य के लिए प्रोत्साहन:

उच्च खरीद मूल्य के लिए प्रोत्साहन राशि वार्षिकीग्राही को दी जाने वाली सारणीबद्ध वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

उच्च क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहन राशि क्रय मूल्य स्लैब और आस्थगन अवधि पर निर्भर करती है। उच्च क्रय मूल्य पॉलिसियों के अंतर्गत पूर्ण प्रोत्साहन राशि का पैमाना वार्षिकी दरों के अतिरिक्त प्रति एक हज़ार रुपये क्रय मूल्य पर निम्नानुसार है:

उच्च क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहन राशि, प्रति रु. 1000 के क्रय मूल्य पर			
आस्थगन अवधि	क्रय मूल्य सीमा (रु.)		
	5,00,000 से 9,99,999	10,00,000 से 24,99,999	25,00,000 और उससे अधिक
1	2.90	3.90	4.15
2	3.30	4.30	4.55
3	3.70	4.70	4.95
4	4.10	5.10	5.35
5	4.50	5.50	5.75

II. मौजूदा पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन:

प्रोत्साहन राशि सारणीबद्ध वार्षिकी दर में वृद्धि के रूप में होगी। मृतक पॉलिसीधारक के नामिती या लाभार्थी सहित विभिन्न श्रेणियों के मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए सारणीबद्ध वार्षिकी दरों के प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी, बशर्ते कि इस योजना के अंतर्गत नई पॉलिसी किसी अभिकर्ता/कॉर्पोरेट अभिकर्ता/ब्रोकर/बीमा विपणन फर्म के माध्यम से ली गई हो:

पॉलिसीधारक की श्रेणी	प्रोत्साहन (%)
यदि किसी मौजूदा पॉलिसीधारक के पास निगम के साथ एक पॉलिसी है जो इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो गई है और वह अपने जीवन और/या परिवार के किसी सदस्य के जीवन पर यह योजना खरीदता है; या यदि यह योजना निगम के मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी द्वारा खरीदी जाती है, जहां मृत्यु की तिथि इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर है; या यदि यह योजना किसी मौजूदा पॉलिसीधारक द्वारा खरीदी जाती है, जिसके पास निगम के साथ एक चालू पॉलिसी है। (* परिवार के सदस्यों का अर्थ है दादा–दादी, माता–पिता, पति/पत्नी, बच्चे या पोते–पोतियाँ)।	0.15%

III. वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री के लिए प्रोत्साहन निम्नानुसार है:

एजेंट/कॉर्पोरेट एजेंट/ब्रोकर/बीमा विपणन फर्म की किसी भी भागीदारी के बिना सीधे बेची गई पॉलिसियों के लिए, सारणीबद्ध वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से प्रोत्साहन वार्षिकीधारक को नीचे दर्शाए अनुसार उपलब्ध होगा:

अनु. क्र.	पॉलिसीधारक की श्रेणी	प्रोत्साहन	
		खरीद मूल्य रु. 10,00,000/- से कम	खरीद मूल्य रु. 10,00,000/- और उससे अधिक
ए.	ऑनलाइन बिक्री – नया ग्राहक	2.00%	2.50%
बी.	ऑनलाइन बिक्री – मौजूदा पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक का नामिती/लाभार्थी मौजूदा पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के बारे में विवरण और शर्तों के लिए ऊपर पैरा 6. II देखें।	2.15%	2.50%

ग्राहक उपरोक्त प्रोत्साहन राशियों में से केवल एक का विकल्प चुन सकता है, यानी ऑनलाइन विक्रय – नया ग्राहक या ऑनलाइन विक्रय – मौजूदा पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी।

7. वार्षिकी दरों में कटौती:

वार्षिक विकल्प के अलावा अन्य वार्षिकी भुगतान आवृत्तियों के लिए, वार्षिकी दर में कटौती के माध्यम से यह कटौती लागू होगी। कटौती नीचे दिए अनुसार है:

प्रकार	वार्षिकी दर में प्रतिशत कमी (वार्षिक)
अर्ध–वार्षिक	2%
त्रैमासिक	3%
मासिक	4%

8. उदाहरण:

खरीद मूल्य : रु. 10 लाख (लागू करों को छोड़कर)

प्रवेश के समय वार्षिकीधारक की आयु : 45 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

आस्थगन अवधि : 5 वर्ष

प्रवेश के समय द्वितीयक वार्षिकीधारक की आयु : 35 वर्ष (पिछला जन्मदिन) (केवल विकल्प 2 के लिए लागू)

वार्षिकी विकल्प	विभिन्न वार्षिकी भुगतान विधि के लिए देय वार्षिकी राशि (रु.)			
	वार्षिक	अर्धवार्षिक	त्रैमासिक	मासिक
विकल्प 1 : एकल जीवन के लिए आस्थगित वार्षिकी	86,100	42,189	20,879	6,888
विकल्प 2 : संयुक्त जीवन के लिए आस्थगित वार्षिकी	82,800	40,572	20,079	6,624

उपरोक्त विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के लिए, कृपया ऊपर पैरा 3 देखें।

9. विकल्प:

i) मृत्यु हितलाभ के भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प:

वार्षिककर्ता को नामिती को मृत्यु हितलाभ के भुगतान के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक चुनना होगा। उसके बाद, नामिती को मृत्यु दावा राशि का भुगतान वार्षिककर्ता द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार किया जाएगा और नामिती द्वारा किसी भी तरह का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह विकल्प वार्षिककर्ता को प्रस्ताव के चरण में ही चुनना होगा। हालाँकि, इस विकल्प को वार्षिककर्ता द्वारा पॉलिसी की अवधि के दौरान अपने जीवनकाल में संशोधित किया जा सकता है।

- **एकमुश्त मृत्यु हितलाभ:** इस विकल्प के तहत नामिती को संपूर्ण मृत्यु हितलाभ एकमुश्त देय होगा।
- **मृत्यु हितलाभ का वार्षिकीकरण:** इस विकल्प के तहत मृत्यु पर देय हितलाभ राशि का उपयोग नामिती के लिए निगम से तत्काल वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाएगा, जो वार्षिकीधारक/अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु की तिथि से प्रभावी होगी। मृत्यु दावे के प्रवेश पर नामिती को देय वार्षिकी राशि नामिती की आयु और वार्षिकीधारक (संयुक्त जीवन वार्षिकी के मामले में अंतिम उत्तरजीवी) की मृत्यु की तिथि पर प्रचलित तत्काल वार्षिकी दरों पर आधारित होगी। यह विकल्प मृत्यु पर देय लाभ राशि के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए चुना जा सकता है। हालांकि, प्रत्येक नामिती के लिए वार्षिकी भुगतान उस समय उपलब्ध वार्षिकी योजना की पात्रता शर्तों और वार्षिकी के लिए न्यूनतम सीमाओं पर तत्कालीन प्रचलित नियामक प्रावधानों के अधीन होगा। यदि उस समय उपलब्ध वार्षिकी योजना की पात्रता शर्तें पूरी नहीं होती हैं या मृत्यु पर देय हितलाभ राशि न्यूनतम राशि की वार्षिकी खरीदने के लिए अपर्याप्त है, तो उक्त राशि नामिती को एकमुश्त रुप में भुगतान की जाएगी।

- **किस्तों में:** इस विकल्प के तहत मृत्यु पर देय हितलाभ राशि एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्षों की चयनित अवधि में किस्तों में प्राप्त की जा सकती है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसी के तहत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए किया जा सकता है। वार्षिकीधारकों द्वारा चयनित राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

  किस्तों का भुगतान वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जैसा कि चुना गया है, जो भुगतान के विभिन्न प्रकार के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन:

किस्तों में भुगतान का प्रकार	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु.5,000/-
त्रैमासिक	रु.15,000/-
अर्ध-वार्षिक	रु.25,000/-
वार्षिक	रु.50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि वार्षिकीधारकों द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावे की राशि का भुगतान केवल एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, किस्त राशि की गणना करने हेतु लागू ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक आय में से 2% कम घटाकर उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक आय पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक की 12 महीने की अवधि के लिए किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 4.62% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

ii) दिव्यांग आश्रित व्यक्ति (दिव्यांगजन) के लाभ के लिए योजना लेने का विकल्प:

यदि प्रस्तावक के पास दिव्यांग आश्रित व्यक्ति (दिव्यांगजन) है, तो प्रस्तावक दिव्यांगजन के हितलाभ के लिए नामिती के रूप में एकल जीवन के लिए

आस्थगित वार्षिकी (विकल्प 1) खरीद सकता है, जिसका न्यूनतम खरीद मूल्य रु.50,000/– होगा।

वार्षिकीधारक (प्रस्तावक) की मृत्यु के मामले में, जहां खरीद मूल्य रु.1,50,000 से कम है, मृत्यु हितलाभ का उपयोग अनिवार्य रूप से नामित दिव्यांगजन के जीवन पर तत्काल वार्षिकी (वार्षिकीधारक द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार) खरीदने के लिए किया जाएगा।

वार्षिकीकरण के मामले में, दिव्यांगजनों को वार्षिकी भुगतान न्यूनतम वार्षिकी भुगतान, प्रवेश के समय न्यूनतम आयु और खरीद मूल्य मानदंड पर किसी भी सीमा के बावजूद किया जाएगा और लागू वार्षिकी दरें उस समय प्रचलित तत्काल वार्षिकी दरें होंगी।

नामिती के रूप में आश्रित दिव्यांगजन की पात्र विकलांगता का निर्णय करने के लिए समय–समय पर संशोधित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(आर) या इस संबंध में किसी अन्य लागू अधिनियम में निर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति के अर्थ के संदर्भ में लिया जाना चाहिए।

10. क्यूआरओपीएस (क्वालिफाइंग रिकग्नाइज़्ड ओवरसीज़ पेंशन स्कीम) के रूप में खरीदी गई योजना:

इस योजना को एचएमआरसी (हिज़ मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम) द्वारा निर्धारित सूची बद्ध और नियमों और शर्तों के अधीन यूके कर मुक्त परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के माध्यम से क्यूआरओपीएस के रूप में खरीदा जा सकता है जैसे:

i. न्यूनतम निहित आयु 55 वर्ष होगी।

ii. यदि पॉलिसी नि:शुल्क अवलोकन अवधि के दौरान रद्द कर दी जाती है, तो निरस्तीकरण से प्राप्त राशि केवल उस फंड हाउस को वापस हस्तांतरित की जाएगी, जहां से धन प्राप्त हुआ था।

iii. पैरा 4 में निर्दिष्ट न्यूनतम वार्षिकी सहित विशिष्ट योजना की सुविधाओं के अधीन, एचएमआरसी की अन्य सभी नियम और शर्तें भी समय–समय पर लागू होंगी।

11.अभ्यर्पण मूल्य:

पॉलिसी को पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय अभ्यर्पित किया जा सकता है।

देय अभ्यर्पण मूल्य गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य या विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा वह होगी।

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी):

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य = (जीएसवी कारक * खरीद मूल्य) में से अभ्यर्पण की तिथि तक देय कुल वार्षिकी राशि घटा दी जाती है।

जहां लागू हो, गारंटीड अभ्यर्पण वैल्यू (जीएसवी) कारक निम्न होंगे:

पॉलिसी वर्ष	1	2	3	4	5 और उससे अधिक
जीएसवी कारक	75%	75%	75%	90%	90%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य:

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर Ref: IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए आगामी परिपत्र के अनुसार वार्षिक रूप से की जाएगी।

ब्याज सहित कोई भी बकाया ऋण राशि और/या वार्षिकीधारक से वसूली योग्य कोई भी अन्य राशि अभ्यर्पण मूल्य भुगतान से वसूल की जाएगी।

क्यूआरओपीएस के मामले में, अभ्यर्पण प्रावधान एचएमआरसी के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं के संबंध में किसी भी विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होंगे।

ध्यान दें: बीमा पॉलिसी एक दीर्घकालिक अनुबंध है, इसलिए पॉलिसी को जारी रखने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए। जबकि ऊपर वर्णित विभिन्न वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत अभ्यर्पण का प्रावधान है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पॉलिसी के अभ्यर्पण पर बड़ा नुकसान हो सकता है और इसलिए, पॉलिसी को जारी रखना उचित होता है।

12. ऋण:

पॉलिसी ऋण पॉलिसी के पूरा होने के तीन महीने बाद (यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि से 3 महीने) या नि:शुल्क अवलोकन अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, किसी भी समय दिया जा सकता है। पॉलिसी ऋण इस संबंध में निगम की शर्तों और नियमों के अधीन आस्थगन अवधि के दौरान और उसके बाद भी उपलब्ध होगा।

संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्प के तहत, ऋण प्राथमिक वार्षिकीधारक द्वारा लिया जा सकता है और प्राथमिक वार्षिकीधारक की अनुपस्थिति में इसे द्वितीयक वार्षिकीधारक द्वारा लिया जा सकता है।

पॉलिसी के तहत दी जा सकने वाली ऋण की अधिकतम राशि ऐसी होगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज राशि वार्षिक वार्षिकी राशि के 50% से अधिक नहीं होगा और अभ्यर्पण मूल्य के अधिकतम 80% के अधीन होगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी ऋणों के लिए ऋण ब्याज दर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर होगी जो 10 वर्षीय जी–सेक बेस/पार प्रतिफल प्रतिवर्ष एवं अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर प्लस 300 बेसिस पॉइंट से अधिक नहीं होगी। 10 वर्षीय जी–सेक बेस/पार प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम ट्रेडिंग तिथि के अनुसार होगा। गणना की गई ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए लागू होगी।

1 मई, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्ध–वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 9.50% प्रति वर्ष है।

पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

क्यूआरओपीएस के मामले में, उपरोक्त पॉलिसी ऋण प्रावधान इस संबंध में एचएम आरसी के नियमों और विनियमों के अधीन होंगे।

13. कुछ घटनाओं में जब्ती :

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन निहित है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी रोककर रखी गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

14. पॉलिसी की समाप्ति :

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर पॉलिसी तुरंत एवं स्वतः समाप्त हो जाएगी :

(ए) वह तिथि जिस दिन एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

(बी) मृत्यु की तिथि, यदि कोई मृत्यु हितलाभ देय नहीं है; या

(सी) वह तिथि, जिस दिन पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया जाता है; या

(डी) निशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

(ई) उपरोक्त शर्त 12 में निर्दिष्ट आस्थगन अवधि के दौरान ऋण ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में।

(एफ) उपरोक्त अनुच्छेद 13 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

15. टैक्स (कर)

अगर भारत सरकार या भारत के किसी अन्य सांवधिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे बीमा योजनाओं पर कोई वैधानिक टैक्स लगाया जाता है तो वह समय–समय पर लागू कर संबंधी कानूनों और कर की दर से देय होगा।

मौजूदा दरों के अनुसार लागू कर की राशि, पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम(मों) के ऊपर व अतिरिक्त अलग से लिया जाएगा। अदा किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत आयकर लाभों/अदा किए गए प्रीमियम (मों) पर प्रभाव तथा देय हितलाभों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार के साथ परामर्श करें।

16. नि:शुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक या कागजी मोड में पॉलिसी बांड प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आपत्तियों के कारण बताते हुए निगम को वापस किया जा सकता है, जो भी पहले हो। इसकी प्राप्ति पर निगम पॉलिसी को रद्द कर देगा और स्टाम्प ड्यूटी और भुगतान की गई वार्षिकी, यदि कोई हो, के लिए शुल्क काटने के बाद अदा किया गया प्रीमियम लौटा देगा। हालाँकि, नि:शुल्क अवलोकन अवधि की यह शर्त केवल आस्थगित वार्षिकी योजना की नई खरीद के मामले में लागू होगी। जहाँ भी खरीद मौजूदा फंड से की जाती है, वहाँ यह लागू नहीं होगी।

अन्य पॉलिसियों का प्रबंधन निम्नानुसार होगा:

ए) यदि यह पॉलिसी किसी अन्य जीवन बीमाकर्ता की आस्थगित पेंशन योजना की आय से खरीदी गई है: निरस्तीकरण से प्राप्त आय उस जीवन बीमाकर्ता को वापस हस्तांतरित कर दी जाएगी।

बी) यदि पॉलिसी को ऊपर पैरा 10 में दिए अनुसार क्यूआरओपीएस के रूप में खरीदा गया है: निरस्तीकरण से प्राप्त आय केवल उस फंड हाउस को वापस हस्तांतरित की जाएगी, जहां से धन प्राप्त हुआ था। क्यूआरओपीएस के मामले में,

उपरोक्त प्रावधान इस संबंध में एचएमआरसी के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं के बारे में किसी भी विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होंगे।

17. आत्महत्या अपवर्जन :

यदि संयुक्त जीवन वार्षिकी के मामले में वार्षिकीधारक/अंतिम उत्तरजीवी (चाहे वह मानसिक रूप से उस समय स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो पॉलिसी निरस्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, भुगतान की गई प्रीमियम के 80% या अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक हो, वह देय होगा। निगम द्वारा किसी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

18. शिकायत निवारण प्रणाली:

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए निगम के पास शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क विवरण और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं। ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in, के माध्यम से ग्राहक के अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/असंतोष दर्ज कर सकते हैं और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकते हैं। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकृति के निर्णय से संतुष्ट न होने वाले दावेदारों के पास अपने मामलों को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के समक्ष उठाने का विकल्प है। प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति के सदस्य एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश होते है।

आईआरडीएआई की:

यदि ग्राहक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है।, तो ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से पॉलिसीधारक के संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकते है।

1) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई ग्रीविएंस कॉल सेंटर–बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र) पर कॉल कर सकते है।

2) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेज सकते है।

3) https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है।

4) कूरियर/पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने का पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम व्ययपर और शीघ्र मध्यस्थता प्रदान करता है।

19. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

1. पॉलिसी की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, में किसी भी आधार पर जीवन बीमा संबंधी किसी भी पॉलिसी पर प्रश्न नहीं किया जा सकता।

2. जीवन बीमा की पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

   बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या कानूनी प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामितियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

   स्पष्टीकरण ।-इस उप-धारा के उद्देश्य से ''धोखाधड़ी'' नामक अभिव्यक्ति का अर्थ बीमाधारक या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य शामिल है:

ए. सुझाव, एक तथ्य के रूप में उस बारे में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

बी. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिस तथ्य का उसे ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित

स्पष्टीकरण ।। – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्यों के बारे में केवल चुप्पी ही धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि उस प्रकरण की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि उन्हें ध्यान में रखते हुए बीमाधारक या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य बोलने के लिए मौन रहना है, या जब तक कि उसका मौन अपने आप में ही बोलने के बराबर न हो।

3. उपधारा (2) में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद, किसी भी बीमाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि बीमाधारक द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि किसी भौतिक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही था, या उसकी मंशा तथ्य को जान–बूझकर दबाने की नहीं थी, या किसी भौतिक तथ्य की ऐसी गलत–बयानी या उसे दबाना बीमाकर्ता की जानकारी में है:

बशर्ते कि धोखाधड़ी के मामले में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो इसका खंडन करने का दायित्व लाभार्थियों का होता है।

स्पष्टीकरण–एक व्यक्ति जिसके द्वारा बीमा अनुबंध करवाने की माँग की जाती है और इस संबंध में बातचीत की जाती है, उसे अनुबंध के निर्माण के उद्देश्य से बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

4. जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर किसी भी समय इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है, कि बीमाधारक के जीवन की प्रत्याशा के संबंध में किसी भी तथ्य

का कोई भी बयान देने या उसके संबंध में कोई तथ्य दबाकर रखने का काम गलत तरीके से प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज़ में किया गया था, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या उसका पुनर्चलन किया गया था या उसके लिए राइडर जारी किए गए थे।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या उसके वैधानिक प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिस पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय आधारित है:

इसके अलावा, यदि पॉलिसी को गलत बयान या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, तो अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर एकत्र किए गए प्रीमियम का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशिती को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उप–धारा के उद्देश्य से तथ्य का गलत बयानी करना या छिपाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए जोखिम पर सीधा असर न होता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो ऐसे में बीमाधारक को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती।

5. इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण माँगने से रोके, यदि उसे ऐसा करने का अधिकार है, और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए सवाल उठाने योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें बाद में केवल उस परवर्ती प्रमाण पर समायोजित की गई हैं, कि प्रस्ताव में बीमाधारक की आयु गलत बताई गई है।

20. छूट का निषेध बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या नवीनीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक छूट या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी छूट के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या पुर्नचलन करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई छूट स्वीकार करेगा, जिसमें वह छूट अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित सूची पत्रो या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस धारा के उपबंधों के पालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडित होगा जो दस लाख रूपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न अनुच्छेद, समय-समय पर यथा संशोधित लागू होते हैं।

इस उत्पाद विवरणिका में योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अन्य विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें।
पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया लॉग ऑन करें www.licindia.in

फर्जी फोन कॉल एवं नकली/धोखाधड़ीपूर्ण ऑफ़रों से सावधान रहें।
आईआरडीएआई या उसके अधिकारी बीमा व्यवसाय से संबंधित किसी भी गतिविधि, जैसे बीमा पॉलिसियाँ बेचना, बोनस की घोषणा करना या प्रीमियमों का निवेश, धनराशि वापस करना आदि में संलग्न नहीं होते हैं। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इनकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

'' भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुँच सकें और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सकें। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम जीवन बीमा
मार्ग, मुंबई – 400021
वेबसाईट: **www.licindia.in**
पंजीकरण संख्या: 512